संख्या- 74 /2020/1312/30-3-20-03बी/2008

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 06 अक्टूबर, 2020

विषय : जनपद-लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में निर्मित इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर के पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1576स0सु0/2019-06-प्रावि0/2011, दिनॉक 19-10-2019 एवं पत्र संख्या-663स0सु0/2020-06-प्रावि0/2011, दिनॉक 18-05-2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद-लखनऊ के ट्रान्सपोर्ट नगर में निर्मित इन्सपेकशन एवं सर्टिफिकेशन सेन्टर हेतु पुनरीक्षित आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रस्तावित लागत रू0 1107.98 लाख (जीएसटी सहित) के सापेक्ष प्रभाग द्वारा रू0 1049.07 लाख + जीएसटी (नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय) की लागत आंकलित की गयी। इस प्रकार कुल स्वीकृत लागत रू0 929.76 लाख के सापेक्ष रू0 119.31 लाख की वृद्धि के फलस्वरूप प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू0 1049.07 लाख + जीएसटी (नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति तथा उक्त पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अब तक अवमुक्त कुल धनराशि रू0 929.75 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 119.32 लाख (रू0 एक करोड़ उन्नीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/2020/ बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020के अनुसार यदि निर्माण कार्य की लागत रू0 10.00 करोड़ से अधिक है, तो प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त 5 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। अतः कुल लागत रू0 1049.07 लाख के 5 प्रतिशत की धनराशि को रोकते हुए रू0 66.87 लाख (रू0 छियासठ लाख सत्तासी हजार मात्र) की धनराशि को अवमुक्त किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रशासकीय विभाग प्रयोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(4) प्रशा0 विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1 /2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी प्रशसकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(6) प्रशासकीय विभाग योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-74/2020/1312(1)/30-3-2020, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- अवर सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ), परिवहन भवन, 01 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) द्वारा परिवहन आयुक्त।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।